नगरपालिका उप निवाचन, 2023

दिनांक 16.01.2024 को माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), सारण तथा पटना, कैमूर, नालन्दा, गया, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया जिला के संबंधित जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं संबंधित नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 के तैयारी के निमित्त समीक्षा हेतु बैठक की कार्यवाही।

कार्यवाही

उपस्थिति – जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), सारण एवं पटना, कैमूर, नालन्दा, गया, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया जिला के संबंधित जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं संबंधित नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा आयोग के पदाधिकारीगण उपस्थित।

सर्वप्रथम माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को नववर्ष की शुभकामना देते हुए स्वागत किया गया। उन्होंने सम्बोधित करते हुये कहा कि नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 भले ही छोटा चुनाव है परन्तु इसका महत्त्व कम नहीं है। आप सभी अनुभवी हैं, पहले भी चुनाव कराया है। फिर भी प्रत्येक निर्वाचन में एक नया अनुभव होता है। मात्र त्रुटियों की ओर ध्यान देने की बात है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो।

सारण जिला को छोड़कर शेष सभी नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में एक या दो वार्ड के लिए मतदान कराया जाना है, परन्तु सारण का निर्वाचन वृहत् है जिसमें सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में चुनाव होना है जिसमें 196 मतदान केन्द्र हैं। मुख्य पार्षद का निर्वाचन होने से निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के बीच काफी कड़ी प्रतिस्पर्द्धा भी है। इस हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है।

तत्पश्चात कार्यसूची के अनुसार चर्चा प्रारम्भ की गई।

1. मदान केन्द्र पर मतदाताओं के पहचान हेतु Facial Recognition System (FRS) का उपयोग

सही मतदाता के **मत को संरक्षित** किया जा सके एवं बोगस मतदान/बुथ कैप्चरिंग/Booth riging जैसे Fraudulent activity द्वारा सही मतदाता के मत का मतहरण को रोके जाने के उद्देश्य से मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के पहचान हेतु Facial Recognition System (FRS) का उपयोग किया जा रहा है।

आयोग का **पत्रांक 76 दिनांक 09.01.2024 द्वारा** इस सन्दर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया।

FRS का उपयोग मतदान दल में प्रतिनियुक्त P3B द्वारा किया जाना है, जो एक तकनीकी कर्मी है। उक्त कर्मियों के पास उक्त specification का मोबाईल होना अनिवार्य है जो कि पत्र में उल्लेखित है। सभी प्रतिनियुक्त कर्मी शत्-प्रतिशत प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, इसे सुनिश्चित किया जाय।

18.1.24

निर्देश – प्रतिनियुक्त कर्मी P3B के सन्दर्भ मे दुबारा जाँच लें कि वे तकनीकी कर्मी हैं अथवा नहीं। निर्देश के आलोक में उनके माबाईल की स्थिति से भी अवगत हों लें। उनका प्रशिक्षण करना सुनिश्चित की जाय। पीठासीन पदाधिकारी को इस संबंध में जानकारी दी जाय कि एफ.आर.एस. का उपयोग कराना उनकी जिम्मेवारी है। सारण जिला के 67 P3B कर्मी आई.टी. सहायक नहीं होकर पंचायत के कर्मी हैं जिन्हें बदलने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

मतदान करने आये मतदाता का सत्यापन हेतु फोटो लेने के पहले मतदाता से मोबाईल में Consent लेना अनिवार्य है, अर्थात् फोटो लेना स्वैच्छिक है।

छद्म मतदाता की पहचान साबित होने पर की जाने वाली कार्रवाई का प्रवधान :-

*यदि पीठासीन पदाधिकारी को अपने जाँच में यह साबित हो जाता है कि मतदाता किसी अन्य मतदाता के स्थान पर मतदान करने हेतु उपस्थित हुआ है या मतदाता द्वारा किसी अन्य मतदान केन्द्र पर मताधिकार का प्रयोग पहले किया जा चुका हो, तो पीठासीन पदाधिकारी उक्त मतदाता के विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–172 "निर्वाचनों में प्रतिरूपण" तथा 174 "निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड" तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 462(3) के तहत** उक्त मतदाता को मतदान केन्द्र पर उपस्थित सुरक्षा बलों/स्थानीय थाना को विधिक कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया जाये।*

2. मतदान दिवस एप्पस के संचालन हेतु प्रशिक्षण (पीठासीन पदाधिकारी, पी.सी.सी.पी., सेक्टर पदाधिकारी के लिए)

आयोग का पत्रांक 124 दिनांक 11.01.2024 द्वारा पीठासीन पदाधिकारी, पी.सी.सी.पी., सेक्टर पदाधिकारी से संबंधित एप्पस के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। इस सन्दर्भ में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। एप्प का शत्-प्रतिशत उपयोग करने हेतु सभी संबंधित का ध्यान आकृष्ट कराते हुये दृढ़ता पूर्वक कराना सुनिश्चित की जाय।

3. सभी मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग :-

नगरपालिकाओं के रिक्त पदों से संबंधित मतदान केन्द्रों पर मतदान को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से सभी मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग हेतु एक-एक कैमरा लगाये जाने हेतु आयोग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से वेब कैमरा उपलब्ध कराया गया है।

सारण जिला को 20 कैमरा अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये हैं, जिसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के आवास के निकट पड़ने वाले संवेदनशील मतदान केन्द्रों के बाहर अधिष्ठापित किये जायेंगे। जिसका चयन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) स्तर से किया जायेगा।

*उपरोक्त के अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा समीक्षा कर विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन की गतिविधि पर नजर रखने हेतु संवेदनशीन मतदान केन्द्रों पर **विडियो रिकॉर्डिंग (विडियोग्राफी)** की व्यवस्था की जा सकती है।*

निदेश :-

(क) मतदान केन्द्र के अन्दर वैब कैमरा इस प्रकार लगाया जाय किसी भी परिस्थिति में पोलिंग कम्पार्टमेन्ट या उसका भीतरी हिस्सा जहाँ ई.वी.एम. मशीन रखा हो अथवा मतदाता मतपत्र पर मत अंकित कर रहा हो, वह कैमरा में नहीं दिखना चाहिये। परन्तु मतदान केन्द्र के अन्दर वोटिंग कम्पार्टमेन्ट के आस-पास सहित अन्य गतिविधि पर निगरानी रखी जाय।

(ख) निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत इन्टरनेट व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करने के निमित्त इंटरनेट सेवा प्रदाता से बैठक कर निदेशित किया जाय।

(ग) वेबकास्टिंग कार्य के हेतु एक नोडल पदाधिकारी को नामित करते हुये उनका नाम, पदनाम तथा मोबाईल संख्या आयोग को संसूचित की जाय। एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी नगरपालिका में नोडल के रूप में कार्य करेंगे। एजेंसी द्वारा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु विडियो लिंग तथा हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जायेगी, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

(घ) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वैब कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु मानव बल की व्यवस्था की जाय, जिसके लिए चयनिय एजेंसी द्वारा रू. 500/- (पाँच सौ) प्रत्येक कैमरा के दर से भुगतान किया जायेगा।

(ङ) जिला नियंत्रण कक्ष एवं निर्वाची पदाधिकारी स्तर पर नियंत्रण कक्ष द्वारा वेबकास्टिंग किये जा रहे मतदान केन्द्रों का सतत् अनुश्रवण की जाय। यदि मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी प्रकार का गड़वड़ी पायी जाये तो उसपर तत्क्षण भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय - 9 (निर्वाचन संबंधी अपरोधों के विषय में) के तहत् कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(च) मतदान केन्द्रों पर **मतदान के दिन होने वाले वेबकास्टिंग से संबंधित प्रतिवेदन** प्रेषित करने हेतु एक **प्रपत्र** पत्र के साथ संलग्न किया गया है। जिसे **मतदान उपरान्त संबंधित प्रपत्र** को भरकर **निर्वाची पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित** प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करना है। उक्त प्रतिवेदन पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कर आयोग को भजेंगे।

4. बज्रगृह में इलेक्ट्रोनिक लॉक का उपयोग :-

मतदान उपरान्त बज्रगृह की सुरक्षा हेतु विधिक रूप से बज्रगृह को लॉक करने के अतिरिक्त **इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग करने का निर्णय बज्रगृह को बन्द किये जाने एवं खोले जाने के समय के अनुश्रवण एवं पारदर्शिता स्वरूप सभी संबंधित (अभ्यर्थी सहित) को 'अलर्ट' किये जाने के उद्देश्य से लिया गया है।** जिसका अनुश्रवण आयोग कार्यालय, जिला पदाधिकारी तथा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भी किया जायेगा।

निर्देश :-

संबंधित अभ्यर्थियों को भी इसके संबंध में अवगत कराया जाय तथा उन्हें भी View Option उपलब्ध कराया जाय ताकि पारदर्शिता बनी रहे। **निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थियों के मोबाईल संख्या एजेंसी के कर्मी को उपलब्ध करायेंगे** जिससे अभ्यर्थी द्वारा बज्रगृह में लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक की स्थिति का अवलोकन कर सकें। विदित हो कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बीच पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए है न कि निर्वाचन में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए।

5. मतगणना केन्द्र पर ई.वी.एम. (सी.यू.) से प्राप्त मतगणना परिणाम का परिणाम प्राप्त करने की तैयारी :-

मतगणना की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये मतगणना स्वतंत्र एवं स्वच्छ, पारदर्शी एवं जिम्मेदारीपूर्ण कराये जाने के साथ-साथ ई.वी.एम. (सी.यू.) से प्राप्त हो रहे ऑंकड़ों के रिकॉर्डिंग कराने के उद्देश्य से मतगणना टेबुल पर वेब कैमरा अधिष्ठापित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु चयनित एजेंसी के माध्यम से वेब कैमरा उपलब्ध कराया गया है।

निदेश :-

(क) कैमरा अधिष्ठापन में आयोग के चयनित एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान किया जायेगा।

(ख) मतगणना केन्द्र एवं मतगणना टेबुल पर वैब कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु संख्या विनिश्चित कर एक विवरणी पत्र के साथ संलग्न की गई है, के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(ग) उक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु डी.आई.ओ. एवं आई.टी.मैनेजर को तकनीकी नोडल पदाधिकारी बनाते हुए समन्वय स्थापित करने हेतु निदेशित किया जाये। नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र के एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी नगरपालिका में नोडल के रूप में कार्य करेंगे। इस कार्य हेतु आई.टी. सहायक की सेवा ली जाय।

एजेंसी द्वारा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु विडियो लिंग तथा हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जायेगी, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

(घ) निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत इन्टरनेट व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करने के निमित्त इंटरनेट सेवा प्रदाता से बैठक कर निदेशित किया जाय।

(ङ) मतगणना टेबुल पर वेब कैमरा अधिष्ठापित होने के बाद उससे प्रदर्शित हो रहे चित्र को मोबाईल के माध्यम से देखा जाये कि टेबुल पर कहाँ फोकस हो रहा है। उस स्थान को मतगणना के समय ई.वी.एम. (सी.यू.) रखने हेतु कागज चिपका कर चह्नित कर दिया जाय ताकि ई.वी.एम. (सी.यू.) से प्रदर्शित हो रहे ऑकड़ों का भलीभाँति रिकॉर्डिंग हो सके।

(च) उक्त के अतिरिक्त मतगणना केन्द्र/स्थल पर विधि व्यवस्था एवं अन्य गतिविधि के साथ-साथ ई.वी.एम. (सी.यू.) से प्रदर्शित आँकड़ों को रिकॉर्डिंग करने हेतु अलग से **विडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की अनिवार्य रूप से की जाय।**

(छ) ई.वी.एम. (सी.यू.) से प्राप्त हो रहे आँकड़ों के रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाये ताकि चुनाव याचिका में डिजिटल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

(ज) मतगणना केन्द्र पर **मतदान के दिन होने वाले वेबकास्टिंग से संबंधित प्रतिवेदन** प्रेषित करने हेतु एक **प्रपत्र** पत्र के साथ संलग्न किया गया है। जिसे **मतगणना उपरान्त संबंधित प्रपत्र** को भरकर **निर्वाची पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित** प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करना है। **उक्त प्रतिवेदन पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कर आयोग को भजेंगे।**

(झ) जिला एवं निर्वाची पदाधिकारी के नियंत्रण कक्ष द्वारा पूर्व की भाँति अनुश्रवण सुनिश्चित की जायेगी। यदि मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी प्रकार का गड़वड़ी पायी जाये तो उसपर तत्क्षण भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय - 9 (निर्वाचन संबंधी अपरोधों के विषय में) के तहत् कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

6. सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति (Force Deployment Plan)

आयोग का पत्रांक 21 दिनांक 03.01.2024 द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखने तथा मतदान केन्द्रों पर शस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के आधार पर किये जाने का निदेश दिया गया है। जिन जिलों से अभी तक प्रतिवेदिन नहीं किया गया है उन् 24 घंटे के अन्दर प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

7. विधि-व्यवस्था संधारण

विधि व्यवस्था संधारण के सन्दर्भ में मतदान के पूर्व, मतदान के दिन, मतगणना के दिन किये जाने वाले कार्रवाई के संबंध में आयोग के **पत्रांक 20 दिनांक 03.01.2024** द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के साथ-साथ वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये गये हैं।

8. नियंत्रण कक्ष (निर्वाची पदाधिकारी स्तर एवं जिला स्तर)

आयोग के **पत्रांक 4368 दिनांक 22.12.2023** द्वारा निर्वाची पदाधिकारी स्तर एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निदेश दिया गया है।

- नियंत्रण कक्ष प्रभावी (effective) रूप से कार्य करें तथा वरीय पदाधिकारी को इसका प्रभारी बनाया जाय।

- मतदान के दिन नियंत्रण कक्ष के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र में मतदान संबंधी गतिविधि पर नजर रखी जाये तथा आयोग को अवगत कराया जाये।
- मतदान दिवस को यदि कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो उसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए नियंत्रण कक्ष के माध्यम से आयोग को तत्काल इसकी सूचना प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- प्रत्येक दो घंटे पर प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाना सुनिश्चित की जाय। यदि गिरफ्तारी, जब्ती या अन्य मतदान से संबंधित कोई घटना हो तो संबंधित प्रतिवेदन में निश्चित रूप से अंकित की जाय।
- मतगणना के दिन भी नियंत्रण कक्ष द्वारा पूर्व की तरहअनुश्रवण सुनिश्चित की जायेगी।

11. पिंक/आदर्श मतदान केन्द्र

आयोग का पत्रांक 18 दिनांक 03.01.2024 पिंक एवं आदर्श मतदान केन्द्र स्थापित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

निर्देश – सारण में तो पिंक एवं आदर्श मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना ही परन्तु जिस नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में 1-2 मतदान केन्द्र हैं वहाँ पिंक एवं आदर्श मतदान केन्द्र अवश्य स्थापित किया जाय।

पिंक एवं आदर्श मतदान केन्द्र स्थापित किये जाने की स्थिति में एफ.आर.एस. कार्य हेतु प्रतिनियुक्त P3B महिला कर्मी के स्थान पर पूर्व अनुभवी पुरुष कर्मी कि नियुक्ति की जाये।

12. मतदाता पर्ची का वितरण

मतदाता पर्ची का पी.डी.एफ. जिला को उपलब्ध करा दिया है। सारण जिला द्वारा इसका वितरण करा लेने की सूचना दी है। शेष सभी जिलों में भी मतदाता पर्ची वितरण की कार्रवाई दो दिनों के अन्दर सुनिश्चित कर ली जाये।

13. अन्यान्य –

अन्त में माननीय आयुक्त महोदय ने जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि अबतक के हुए सभी मतदान अत्यन्त ही सुव्यवस्थित एवं उत्कृष्ट ढ़ंग से कराये गये हैं। अब इसे भी उसी ऊर्जा एवं उत्साह के साथ सफल बनाना सुनिश्चित करें।

विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सधन्यवाद समाप्त किया गया।

19/01/24

(मुकेश कुमार सिन्हा)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक - न.नि. 50-125/2022 – 228 पटना, दिनांक – 19.1.24

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

19/01/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक - न.नि. 50-125/2022 – पटना, दिनांक – 19.1.24

प्रतिलिपि, जिला दण्डाधिकारी-सह- 228

जिल निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) पटना, कैमूर, नालन्दा, गया, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररियाको सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/01/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक - न.नि. 50-125/2022 - 228 पटना, दिनांक - 19.1.24

प्रतिलिपि, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, मगध (गया), सारण, तिरहुत (मुजफ्फरपुर), दरभंगा, कोशी (सहरसा) एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक - न.नि. 50-125/2022 - 228 पटना, दिनांक - 19.1.24

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।